

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

संविका सं० : - 09/निधि-स्कीम (0103-पुल नाबार्ड) 02-01/2025- 195(S)<sup>20A</sup> पटना, दिनांक - 17/02/2026

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु०) /  
कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय:- मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उपशीर्ष-0103-पुल (नाबार्ड), विपत्र कोड- 41-5054031010103, विषय शीर्ष- 0103.53.01- मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 53.02- भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-7 में अंकित मांग पत्रों के आलोक में सर्वाधिकत कार्यालय / प्रमंडलों को आवंटन विवरणी के स्तम्भ-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹ 89,55,00,000/- (नवासी करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित कार्यालय / प्रमंडलों का चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उपशीर्ष-0103-पुल (नाबार्ड), विपत्र कोड- 41-5054031010103, विषय शीर्ष- 0103.53.01- मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 53.02- भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/ वि., दिनांक- 28.03.2025 एवं पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
7. यह व्यय प्रशासनिक/ प्राथमिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
8. संबंधित निगम/ प्रमंडल / कार्यालय विभागीय पत्र सं०-4099(एस.) दिनांक-11.05.2017, पत्र सं०-901(ई.) दिनांक-08.02.2018 तथा पत्र सं०- 3401(ई.) दिनांक-17.05.2018 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि का व्यय करेंगे।
9. आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
10. आवंटन विवरणी के क्रम सं०-1 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- 242 (old), जमा खाता नं०- PTCPLA011, विपत्र कोड- K8448001200018 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।
11. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यपण दिनांक- 28.02.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।

8

12. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।  
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0 : - 09/निधि-स्कीम (0103-पुल नाबार्ड ) 02-01/2025-

पटना, दिनांक - 17/02/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ सचिव कोषांग, प0नि0वि0, बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प0नि0वि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0 / संबंधित मुख्य अभियंता, प0नि0वि0 / संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0, पटना / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ गंजल, प0नि0वि0/ अधीक्षण अभियंता (बजट), प0नि0वि0 / कार्यपालक अभियंता (बजट -2), प0नि0वि0/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-9 / लेखा शाखा, प0 नि0 वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

### आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : - 09/निधि-स्कीम (0103-पुल नाबार्ड ) 02-01/2025-

पटना, दिनांक - 17/02/2026

क्रम सं0	प्रमंडल/कार्यालय का नाम (जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है)	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग(मु0) के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के लिए	0103.53.01	325,00,00,000	50,00,00,000	375,00,00,000	BRPNNL - 140 / 20.01.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना	0103.53.01	20,00,00,000	6,00,00,000	26,00,00,000	256 / 19.01.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ	0103.53.01	0	1,55,00,000	1,55,00,000	104 / 17.01.2026
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा	0103.53.01	9,00,00,000	5,00,00,000	14,00,00,000	67 / 22.01.2026
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सिवान	0103.53.01	64,00,00,000	10,00,00,000	74,00,00,000	250 / 29.01.2026

